

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 1251/

पटना, दिनांक 21-03-18

सं० सं०-05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 01/2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग।

विषय :-

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्यशीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड 23-2851.00.102.0001 विषय शीर्ष 0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में रू० 6,10,000/- (छः लाख दस हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2-

राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड 23-2851.00.103.0001 विषय शीर्ष 0001.11.01 में रू० 2,70,000/-, 0001.13.01 में रू० 1,30,000/-, 0001.13.03 में रू० 12,000/-, 0001.13.04 में रू० 88,000/-, 0001.13.05 में रू० 40,000/-, 0001.13.06 में रू० 35,000/- एवं 0001.21.01 में रू० 35,000/- अर्थात् कुल रू० 6,10,000/- (छः लाख दस हजार) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।

3-

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महाप्रबंधक, विभिन्न जिला उद्योग केन्द्र, बिहार होंगे।

4-

राशि की निकासी राज्य के विभिन्न जिला कोषागारों से की जाएगी।

5-

प्रस्ताव में सचिव (व्यय), वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 01/2018 के पृष्ठ 11/टि० पर दिनांक 17.03.18 को प्राप्त है, जिसका डायरी सं० 1784 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21-03-18

ज्ञापांक 1251/

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित संबंधित जिला कोषागारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक /

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, वित्त विभाग/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-01(स0), उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग निदेशालय/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-53, प्रपत्र संख्या-212

अनुदान / विनियोग

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त उपबंध अपेक्षित है। मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड 23-2851.00.102.0001						शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है। मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड 23-2851.00.103.0001					
विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त उपबंध	कुल उपबंध जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तत्काल लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यार्पित राशि	कुल उपबंध जो घटाने के बाद रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	7501000	8111000	610000	8111000	0001.11.01 यात्रा व्यय	300000	300000	30000	270000	30000
						0001.13.01 कार्यालय व्यय	200000	200000	70000	130000	70000
						0001.13.03 दूरभाष	12000	12000	0	12000	0
						0001.13.04 विद्युत प्रभार	100000	100000	12000	88000	12000
						0001.13.05 विधि प्रभार	40000	40000	0	40000	0
						0001.13.06 वर्दी/पोशाक	48000	48000	13000	35000	13000
						0001.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	50000	50000	15000	35000	15000
				610000						610000	

टिप्पणी

- (क) स्तम्भ-1 और 7 में ऐसे लघु उद्योग, उप शीर्ष दिखाये जाय जिससे इकाई संबंधित हो।
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयाँ में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में आँकड़े पीठ पर अंकित किया जाय।
 (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आँकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

(Handwritten signature)

अतिरिक्त पुनर्विनियोग के लिए आवेदन पत्र

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड 23-2851.00.102.0001 विषय शीर्ष 0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान में रू0 6,10,000/- (छः लाख दस हजार रूपये) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

- 2- प्रस्तावित पुनर्विनियोग के संबंध में स्पष्टीकरण :-
राज्य के जिला उद्योग केन्द्रों में भाड़े पर चल रही गाड़ियों के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड 23-2851.00.102.0001 विषय शीर्ष 0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड 23-2851.00.103.0001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.11.01, 0001.13.01, 0001.13.03, 0001.13.04, 0001.13.05, 0001.13.06 एवं 0001.21.01 से कुल रू0 6,10,000/- (छः लाख दस हजार रूपये) मात्र बचत राशि को प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव है।
- 3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महाप्रबंधक, विभिन्न जिला उद्योग केन्द्र, बिहार होंगे।
- 4- पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यर्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो :-
पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण ऊपर कांडिका 2 में अंकित है।
- 5- स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अंतर हो तो उसका स्पष्टीकरण :-
(क) विपत्र कोड 23-2851.00.102.0001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में बी0सी0एफ0 अग्रिम एवं तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा कुल रू0 75,01,000/- के अतिरिक्त उपबंध के कारण स्तम्भ 2 एवं 3 की राशि में अंतर है।
(ख) 8 एवं 9 में शून्य।